न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 121/2021/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांक 20.09.2021
अन्तर्गत धाराः अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

बजरंग लाल पुत्र छोटूलाल जाति नायक, निवासी ग्राम गुड़ला तहसील केशवरायपाटन, जिला बून्दी
...अपीलान्ट

बनाम

1. जिला कलक्टर, बून्दी
2. उपखण्ड अधिकारी, केशवरायपाटन, जिला बून्दी
3. तहसीलदार, केशवरायपाटन, जिला बून्दी
4. ग्राम पंचायत, गुड़ली, पंचायत समिति केशवरायपाटन, जिला बून्दी

...रेस्पो.

उपस्थित : श्री ओमप्रकाश प्रजापति –अपीलांट
रेस्पो0 पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र 1 से 3

::निर्णय::

दिनांक 09.04.2025

अपीलार्थी ने जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा पारित आदेश सं 38 दिनांक 18.06.2020 से पीड़ित एवं प्रभावित पक्षकार होना वर्णित करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने बाबत् अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/2018/15 दिनांक 03.01.2019 से ग्राम पंचायत गुडली के ग्राम गुडला में शमशान हेतु कोई उचित स्थान आरक्षित नहीं होने से ग्राम गुडला के खसरा संख्या 670 रकबा 0.15 है0 किस्म बंजड़ भूमि शमशान हेतु आवंटन के प्रस्ताव भिजवाये जाने पर जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसील एवं पंचायत समिति के0पाटन के ग्राम गुड़ला के खसरा सं0 670 रकबा 0.15 है किस्म बंजड़ भूमि विशेष प्रयोजनार्थ शमशान हेतु ग्राम पंचायत गुड़ली के नाम आरक्षित (सेट–अपार्ट) किये जाने का आदेश दिनांक 18.06.2020 पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 18.06.2020 से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा उक्त आदेश से पीड़ित एवं प्रभावित पक्षकार होना वर्णित करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध करते हुए अपील राज0 भू राजस्व

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत पेश की गई। प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि न्याय एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अपने आवागमन में पूर्व में दो जगह अलग–अलग खसरा सं0 622 व खसरा सं0 688 की भूमि शमशान हेतु आवंटित थी, जिसे छुपाकर उक्त विवादित भूमि को शमशान हेतु भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। खसरा सं0 670 की 0.15 है0 भूमि जो शमशान हेतु आरक्षित की गई है, वह अपीलांट के खाते एवं कब्जे की भूमि खसरा सं0 669 एवं 673 से लगवा है तथा खसरा संख्या 670 के आस–पास चारों ओर कृषि भूमि है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर रेस्पो0 क्र. 4 ग्राम पंचायत, गुड़ली, पंचायत समिति केशवरायपाटन, जिला बून्दी को उक्त भूमि शमशान हेतु आरक्षित करने बाबत् बताया गया तो पंचायत द्वारा संपूर्ण जानकारी करके उक्त भूमि के संबंध में प्रमाण–पत्र जारी किया गया है कि खसरा संख्या 670 की रकबा 0.15 है0 भूमि शमशान के योग्य नहीं हैं तथा यदि शमशान का उपयोग किया गया तो उससे आस–पास की फसलों में आग लगने की पूर्ण संभावना रहेगी, जिसके चलते ग्रामीण में आक्रोश उत्पन्न हो सकता है। अतः अपील प्रार्थना–पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18.06.2020 निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि खसरा सं0 670 की 0.15 है0 भूमि जो शमशान हेतु आरक्षित की गई है, वह अपीलांट के खाते एवं कब्जे की भूमि खसरा सं0 669 एवं 673 से लगवा है तथा खसरा संख्या 670 के आस–पास चारों ओर कृषि भूमि है। ग्राम पंचायत, गुड़ली, पंचायत समिति केशवरायपाटन, जिला बून्दी द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किया गया है कि खसरा संख्या 670 की रकबा 0.15 है0 भूमि शमशान के योग्य नहीं हैं। अतः अपीलाधीन आदेश से प्रभावित होने से अपील प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी के साथ अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18.06.2020 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी, के0पाटन से प्राप्त प्रस्ताव, जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, मौके की रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिनांक 18.06.2020 पारित किया गया है।

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर प्रकरण में अपीलांट द्वारा धारा–5 प्रार्थना–पत्र में विवेचित तथ्यों के परिपेक्ष्य में न्यायहित में मियाद कण्डोन करने के उपरांत अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित प्रकट होता है।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट की ओर से जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा पारित आदेश सं 38 दिनांक 18.06.2020 से पीड़ित एवं प्रभावित पक्षकार होना वर्णित करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ अपील पेश कर कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पक्षकार बनाये तथा सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना वाद का निस्तारण कर दिया गया। साथ ही अपीलांट द्वारा अपील में कथन किया गया कि खसरा सं0 670 की 0.15 है0 भूमि जो शमशान हेतु आरक्षित की गई है, वह अपीलांट के खाते एवं कब्जे की भूमि खसरा सं0 669 एवं 673 से लगवा है तथा खसरा संख्या 670 के आस–पास चारों ओर कृषि भूमि है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की दृष्टि से प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित प्रकट होता है।

8. प्रस्तुत अपीलीय प्रकरण का गुणावगुण पर अवलोकन करने से प्रकट होता है कि उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/2018/15 दिनांक 03.01.2019 से ग्राम पंचायत गुडली के ग्राम गुडला में शमशान हेतु कोई उचित स्थान आरक्षित नहीं होने से ग्राम गुडला के खसरा संख्या 670 रकबा 0.15 है0 किस्म बंजड़ भूमि शमशान हेतु आवंटन के प्रस्ताव भिजवाये जाने पर जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसील एवं पंचायत समिति के0पाटन के ग्राम गुड़ला के खसरा सं0 670 रकबा 0.15 है किस्म बंजड़ भूमि विशेष प्रयोजनार्थ शमशान हेतु ग्राम पंचायत गुड़ली के नाम आरक्षित (सेट–अपार्ट) किये जाने का आदेश दिनांक 18.06.2020 पारित किया गया। प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि खसरा सं0 670 की 0.15 है0 भूमि जो शमशान हेतु आरक्षित की गई है, वह अपीलांट के खाते एवं कब्जे की भूमि खसरा सं0 669 एवं 673 से लगवा है तथा खसरा संख्या 670 के आस–पास चारों ओर कृषि भूमि है। ग्राम पंचायत, गुड़ली, पंचायत समिति केशवरायपाटन, जिला बून्दी द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किया गया है कि खसरा संख्या 670 की रकबा 0.15 है0 भूमि शमशान के योग्य नहीं हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार पत्रावली को अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत, गुडली के द्वारा पत्रांक दिनांक 02.03.2018 से प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी, के0पाटन को प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया कि ग्राम गुडला में वर्तमान में कोई शमशान घाट नहीं है तथा कोई निश्चित स्थान नहीं है। इस हेतु खसरा सं0 670 रकबा 0.15 है0 किस्म बंजड भूमि का आवंटन कर दिया जावे। उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन, जिला बून्दी द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/2018/15 दिनांक 03.01.2019 से उक्त भूमि आवंटन के प्रस्ताव जिला कलक्टर, बून्दी को प्रेषित किये गये। किंतु प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ संलग्न चेकलिस्ट के बिन्दु संख्या 26 (क्या संस्था को पूर्व में कभी इस जिले में भूमि आवंटित की गई थी?) में पूर्व में आवंटित खसरा सं0 222 रकबा 0.10 है एवं खसरा सं0 688 रकबा 0.01 है0 का उल्लेख किया गया है। उक्त पूर्व आवंटित

खसरा नम्बरान के संबंध में पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 02.06.2020 अनुसार खसरा सं0 222 ग्राम विजयनगर के समीप स्थित होने से विजयनगर वासियों द्वारा शमशान हेतु उपयोग लिया जा रहा है तथा खसरा सं0 688 चम्बल नहीं के क्षेत्र में होने से शमशान योग्य नहीं है। परंतु ग्राम पंचायत गुडला द्वारा दिनांक 02.03.2018 से उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन को प्रेषित प्रस्ताव में शमशान हेतु पूर्व के उक्त दोनों आवंटन का उल्लेख नहीं किया गया। साथ ही प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट की ओर से शमशान हेतु आवंटित आराजी खसरा सं0 670 रकबा 0.15 है0 जो अपीलांट के खाते एवं कब्जे की भूमि खसरा सं0 669 एवं 673 के लगवा होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में आवंटित खसरा संख्या 670 रकबा 0.15 है0 के समीप काश्तकारों के द्वारा काश्त किये जाने से शमशान हेतु उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा पारित आदेश सं 38 दिनांक 18.06.2020 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि प्रकरण में उपरोक्त विवेचित तथ्यों का परीक्षण/जांच कर, अपीलांट को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए पुनः तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

9. निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा